25/6/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अनुपस्थित रहने से पत्रावली का निस्तारण शीघ्रता से नहीं हो सका। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05.07.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

5/7/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि पटवारी हल्का की मौका फर्द के अनुसार जमाबंदी मौजा आल्पा पटवार हल्का आल्पा के खसरा नं0 249/1, 249/2 में प्रार्थी का नाम रजिस्ट्री करवाते समय करनाराम पुत्र वीराराम दर्ज हो चुका है जबकि प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी का अन्य दस्तावेजो में नाम किरण कुमार पुत्र वीराराम है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट के तहत मेंटेंनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी चाहे तो उक्त प्रकरण में अनुतोष प्राप्त करने के लिये माननीय सक्षम न्यायालय में धारा 88 आरटीएक्ट के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:24 IST
Reason: SelfAttested